



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रगांक 28]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 जनवरी 2021 पौष 30, शक 1942

### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2021

क्र. एफ-1-3-2017--एक(1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन (आवंटन) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

#### संशोधन

1 उक्त नियमों में,—

- (1) विद्यमान शीर्षक “पच्चीस— आदिम जाति कल्याण” के स्थान पर,  
निम्नलिखित शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं,  
अर्थात् :—

“पच्चीस— जनजातीय कार्य”

2 अनुसूची में,—

- (1) विद्यमान शीर्षक “पच्चीस— आदिम जाति कल्याण विभाग” के स्थान पर,  
निम्नलिखित शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं,  
अर्थात् :—

“पच्चीस— जनजातीय कार्य विभाग”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2021

क्र. एफ-1-3-2017-एक(1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-3-2017-एक(1), दिनांक 20 जनवरी 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव.

Bhopal, the 20<sup>th</sup> January 2021

F-1-3-2017-One(1).- In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :-

#### AMENDMENTS

1 In the said rules,—

- (1) For the existing heading "XXV-Tribal Welfare", the following heading and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

"XXV - Tribal Affairs"

2 In the Schedule,—

- (1) For the existing heading "XXV-Tribal Welfare Department", the following heading and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

"XXV - Tribal Affairs Department"

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
VINOD KUMAR, Addl. Chief Secy.